न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बापिणी जिला फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— अमिता विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—57 / 2024
Gcms no. 2024/33

प्रार्थीगण :—

01. किसनाराम पुत्र सिदाराम
02. गेनाराम पुत्र सिदाराम
03. मोहनराम पुत्र सिदाराम
04. भोमाराम पुत्र सिदाराम
05. अमराराम पुत्र सिदाराम सभी जाति जाट
06. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण जाटो की ढाणी हडमानसागर तहसील बापिणी जिला फलौदी।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. गोकलराम पुत्र अमानाराम
2. गणेशराम पुत्र मांगीलाल
3. नारायणराम पुत्र मांगीलाल
4. मुलाराम पुत्र मांगीलाल
5. अणची पत्नी मांगीलाल
6. चन्द्राराम पुत्र अणदाराम
7. अणदाराम पुत्र धुडाराम
8. धन्नाराम पुत्र आसुराम
9. भीखाराम पुत्र आसुराम
10. हरकाराम पुत्र आसुराम
11. पोकरराम पुत्र पदमाराम
12. मालाराम पुत्र पदमाराम
13. धर्माराम पुत्र आसुराम
14. मालाराम पुत्र आसुराम
15. नारायणराम पुत्र आसुराम
16. सुरजनाथ चेला गणेशनाथ
17. ग्राम पंचायत जाटो की ढाणी हडमान सागर/मतौडा जरिये सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति बापिणी जिला फलौदी।
18. अचलाराम पुत्र मालाराम
19. डालाराम पुत्र मालाराम
20. मानाराम पुत्र मालाराम
21. सुखाराम पुत्र मालाराम
22. केसुदेवी पत्नी मालाराम
23. अचलाराम पुत्रकरनाराम
24. बन्नाराम पुत्र करनाराम
25. लिखमाराम पुत्र करनाराम
26. उगमाराम पुत्र सादुलाराम
27. ओमाराम पुत्र उगमाराम

सहायक कलेक्टर बापिणी

28. जसाराम पुत्र उगमाराम
29. ओमाराम पुत्र धोकलराम
30. महीपाल पुत्र धोकलराम
31. धापु पत्नी धोकलराम
32. केसाराम पुत्र सांवताराम
33. भींयाराम पुत्र सांवताराम
34. मोतीराम पुत्र सांवताराम
35. रामुराम पुत्र सांवताराम
36. किसनाराम पुत्र हरजीराम
37. भैराराम पुत्र हरजीराम
38. कानाराम पुत्र सोनाराम
39. गेनाराम पुत्र चुनाराम
40. गुलाराम पुत्र चुनाराम
41. नवलाराम पुत्र चुनाराम
42. लिचु पत्नी चुनाराम
43. गोपालराम पुत्र जुगताराम
44. जगदीश पुत्र तिलाराम
45. मुकेश पुत्र तिलाराम
46. जेठाराम पुत्र डुगरराम
47. रामुराम पुत्र डुगरराम
48. तुलछाराम पुत्र लुम्बाराम
49. प्रकाश पुत्र लुम्बाराम
50. दुर्गाराम पुत्र अर्जुनराम
51. दिनेश कुमार पुत्र अर्जुनराम
52. भंवरलाल पुत्र अर्जुनराम
53. पप्पुराम पुत्र हरकाराम
54. प्रेमाराम पुत्र हरकाराम
55. बाबुराम पुत्र आईदानराम
56. मोहनराम पुत्र आईदानराम
57. भोमाराम पुत्र मांगीलाल
58. भोमाराम पुत्र मुलाराम
59. मंगाराम पुत्र मुलाराम
60. पन्नाराम पुत्र मुलाराम
61. मुलाराम पुत्र बन्नाराम
62. सियाराम पुत्र बन्नाराम
63. चुनाराम पुत्र बन्नाराम
64. मंगलाराम पुत्र बन्नाराम
65. मोहनराम पुत्र पोकरराम
66. लक्ष्मणराम पुत्र पोकरराम
67. रूपाराम पुत्र अणदाराम
68. रमली पत्नी भैराराम
69. हवादेवी पत्नी नानकराम
70. पुरखाराम पुत्र धन्नाराम
71. प्रतापराम पुत्र धन्नाराम
72. कोजाराम पुत्र सिमरथाराम
73. बुद्धाराम पुत्र बगताराम
74. तहसीलदार–बापिणी, जरिये भूमिधारी सरकार

सहायक कलेक्टर बापिणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण :– राजुराम चौधरी।

अप्रार्थीगण संख्यां (13,14,15,43,49,54,67)की ओर से :– विक्रमसिंह भाटी।

अप्रार्थीगण संख्यां (1से12,16 से 42,44 से 48,50 से 53 व 55 से 66,67 से 73) की ओर से :– कोई नहीं।

अप्रार्थीगण संख्यां 74 की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 12 / 11 / 2025

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर बताया कि बापिणी तहसील के पटवार मण्डल मतौडा के राजस्व ग्राम जाटों की ढाणी, हडमानसागर में प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 419 रकबा 2.3067 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2.5171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/2 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/3 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/4 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, एंव ग्राम मोटानियां नगर के खसरा नम्बर 389 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/1 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/2 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/3 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/4 रकबा 1.0926 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है जिसका सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किये गये तथा अप्रार्थीगण सम्मन तामिल सुदा न्यायालय को प्राप्त हुऐ और प्रार्थना पत्र का जबाब दिये जाने एंव अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय एंव अवसर किये जाने के बावजुद अप्रार्थीगण संख्यां 1से 12, 16 से 42, 44 से 48, 50 से 53 व 55 से 66, 67 से 73 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ। जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 15.10.2025 को अमल में लाई गई। तथा अप्रार्थीगण संख्यां 13, 14, 15, 43, 49, 54, 67 की ओर से विक्रमसिंह भाटी व अप्रार्थीगण संख्यां 74 की ओर राज–पैरोकार उपस्थित हुऐ।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कोई जबाब नहीं देने पर जबाब बन्द करके शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई नहीं आने पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस करने का अनुरोध किया। विद्ववान अभिभाषक प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरान को दौहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम जाटों की ढाणी, हडमानसागर में अपनी भुमि खेत खसरा नम्बर 419 रकबा 2.3067 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2.5171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/2 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/3 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/4 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, एंव ग्राम मोटानियां नगर के खसरा नम्बर 389 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/1 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/2 रकबा 1.0846

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

सहायक कलेक्टर बापिणी

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/3 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/4 रकबा 1.0926 हैक्टेयर जमीन की सुरक्षा के लिए जाली तारबन्दी करवाकर पत्थरगढी करवाकर खेत के कणा माठ कायम करवाने हेतू पेमाईस व पत्थरगढी करवाना चाहते है और पडौसी खातेदार खेत खसरान् के खातेदार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की जमीन पर सीमा माठ को खुर्द–बुर्द करने की चेष्ठा कर रहे हैं। उक्त आराजियत के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि के पुख्ता स्थाई मुटाम सुनियोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया हैं और प्रार्थी द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थना पत्र धारा 110, 111, 128 एल आर एक्ट में पेश किया हैं तथा प्रार्थीगण की भुमि की पैमाईश अनुसार चिन्हीत स्थान पर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। पुर्व में उक्त खसरें की पेमाईश उप–तहसीलदार मतौडा के आदेश क्रमाक 11,12,13,14,15/2017 की पालना में हल्का पटवारी मतौडा द्वारा दिनांक 30.06. 2012 को प्रार्थीगण की उक्त आराजियत का सिमाकंन किया गया था जिस पर किसी पडौसी खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति नहीं की गई हैं। फर्द मौका सीमांकन रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। तथा राज–पैरोकार के जबाब में पत्थरगढी की जाना उचित बताया हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर विद्ववान अभिभाषक की बहस सुन कर मनन करने पर पाया गया हैं कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ईस्तदुआ अनुसार प्रार्थीगण के पडौसीयान के मध्य प्रश्नगत आराजी के बीच स्थाई सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन पड़ोसीं से सीमा संम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है और पत्थरगढी के अभाव में खेत में बोयी जाने वाली फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। चुकिं प्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं एंव प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया हैं अतः प्रथम द्दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढी करवायी जाना उचित प्रतीत हो रही हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है और ऐसी ही प्रार्थीगण ने इस्तदुआ चाही हैं। तथा इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक न्याय में स्वीकार किये जाने के योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार बापिणी के पटवार मण्डल मतौडा के राजस्व ग्राम जाटों की ढाणी, हडमानसागर व मोटानियां नगर में स्थित हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर ग्राम जाटों की ढाणी, हडमानसागर में खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 419 रकबा 2.3067 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2.5171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/2 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/3 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419/4 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, एंव ग्राम मोटानियां नगर के खसरा नम्बर 389 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/1 रकबा 1.0846 हैक्टेयर,

सहायक कलेक्टर बापिणी

खसरा नम्बर 389/2 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/3 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389/4 रकबा 1.0926 हैक्टेयर जमीन का सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर रिकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा पत्थरगढी के दौरान् मौके पर किसी अन्य का स्थाई कब्जा पाया जाये तो उसे जरिये पत्थरगढी नहीं हटाया जाये तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करें। और फर्द मौका सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 30.60.2017 इस निर्णय का भाग रहेगा। प्रश्नगत दरख्वास्त की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब आवश्यक रुप से पेश करें। निर्णय पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 12 /11 /2025 को सुनाया गया।

(अमिता विश्नोई) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी [illegible]